उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-45/2021/2718/92-2-21-72एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 21 अक्टूबर 2021

कार्यालय-ज्ञाप

सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद द्वारा जनपद-गाजियाबाद में सांसद निधि तथा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के संबंध में शिथिल नियंत्रण बरतने हेतु, ठेकेदारो की निविदाओं को अनियमित तरीके से नॉन रिस्पॉसिव घोषित कराये जाने, एस0बी0 डी0/निदेशालय द्वारा निर्गत सकुर्लर पत्र दिनांक 07-12-2018 में दिये गये दिशा निर्देशों को अनदेखा करते हुये उनका समुचित रूप से अनुपालन नहीं करने व समस्त निविदा प्रक्रियामें मनमानी/लापरवाही किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु श्री वाई0एन0 चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुये अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद को विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-45/2021/2718(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-552 /ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0कार्य0/पत्रा0सं0-986/20-21 दिनांक 29.09.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री वाई0एन0 चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-गाजियाबाद के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- प्रस्तुतकर्ताअधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-गाजियाबाद।

4- श्री वाई0एन0 चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-गाजियाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in